Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)** मुकाम **जोधपुर**

शम्भुसिंह पुत्र श्री नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी भेरूसागर ओसियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर **बनाम** 1. सांगसिंह पुत्र माधुसिंह जाति राजपूत निवासी ओसिंया जोधपुर 2. सरपंच, ग्राम पंचायत ओसिंया, जोधपुर

पंचयत निगरानी नं. 02 **सन् 2025**

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-6-2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय मय पक्षकार उपस्थित होकर एक राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सांगसिंह को ग्राम ग्राम पंचायत ओसियां, मिसल संख्या 248 द्वारा पट्टा संख्या 36 दिनांक 05.06.2002 जारी किया गया जिसका नाप 30 गुणा 60 कुल 1800 वर्गफिट है। अप्रार्थी सं. 02 द्वारा अप्रार्थी सं.01 के पक्ष में बिना प्रस्ताव व बिना आदेश के जारी सुदा पट्टे में 07 गुणा 20 फिट कुल 140 वर्गफिट अतिरिक्त जोड दिया गया, जो प्रार्थी शम्भूसिंह के रहवासीय मकान में जारी किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य लोक अदालत की भावना से एंव आपसी सहमति से 07 गुणा 20 फिट हिस्से तक पट्टा निरस्त करने पर सहमति देते हुए प्रार्थी एंव अप्रार्थी के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है। अंत में निवेदन किया है कि राजीनामा, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार मिसल संख्या 248 पट्टा क्रमांक 36 दिनांक 05.06.2002 को जारी पट्टे को 07 गुणा 20 फिट हिस्से तक निरस्त फरमाया जावे अथवा सम्पूर्ण पट्टा निरस्त कर दुबारा/दुसरा पट्टा 30 गुणा 60 फिट तक अप्रार्थी सांगसिंह के नाम जारी किया जावे। हमने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, राजीनामा एंव पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि राजीनामा अनुसार दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है एंव सांगसिंह को पूर्व में मिसल संख्या 248 दिनांक 05.06.2002 को जारी पट्टा संख्या 36 नाप 30 गुणा 60 फिट का सांगसिंह के नाम से दुबारा जारी किये जाने पर सहमति की है। ऐसे में प्रार्थी एंव अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत धारा 97, मिसल संख्या 248 पट्टा क्रमांक 36 दिनांक 05.06.2002 को निरस्त किया जाता है एंव ग्राम पंचायत ओसिंया को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा नया आवेदन पेश करने पर नियमानुसार नवीन पट्टा जारी किया जावे। आदेश आज दिनांक 18-6-2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। (सुरेन्द्र सिंह पुरोहित) 18/6/25 अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर [Seal: अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)]	